

सि

ता. 35/0 2
कुठना कुमारी पंड वीसू
हुम या कार्यवाही मय इंधरागल्स जज

तारीख
हुम

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुम की तारीख
में जारी हुए

शर्जीनामा अनुसार आदेश दिया जाता
है कि आम माण्डल नं. 30. नं. 5515 एवम्
2-10 बिरला का तहसीलदार एवं दीम गदीत
दर सेले पर न्याय कर उक्त अतिरिक्तियां के
0.05 बिरला पर वादियां का वादजा अधिष्ठा
निकले में प्रतिवादीगणों को वादजा देवे व
पतिवादीगणों 0.5 बिरला पर अर्थात् वादजा निकले
में वादियां को सिपुव केरा दासा परन अधिष्ठा
आमे हवे 5 वर वादजा देवे पर सहमत है
शर्चा कारिका अनुसार अफला वहन वर
आजपह निर्णय खुले न्यायालये सुनाया
जाया
पत्रावली नं. शाल शुमार होकर नम्बर
अंकम है

(देवी सिंह)
पीअरीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर माण्डल

26-4-16 वकील डिफ्रीदार में एक शर्जना पत्र बाबर संशोधित डिफ्री
जारी करने हेतु प्रस्तुत किया। पत्रावली सिगह से
तलब की गई शर्जना पत्र का अवलोकन किया
गया। शर्ज में जारी डिफ्री में सहभाविक व लिपि
किय शर्ज से आराजी नं. 5515 के रकमे में
2-18 दो नीषा 18 बिस्वा के स्थान पर रकमे 2-10
दो नीषा इस बिस्वा अंकित करके की शर्ज हुई है।
जिसे सुधार करना उचित व न्योयोचित उचित होगा
है। इस कारण शर्जना पत्र स्वीकार किया जाकर
संशोधित डिफ्री जारी करने का आदेश इस
आशय पत्र जारी किया जाता है कि आराजी नं.
5515 के रकमे 2-10 दो नीषा इस बिस्वा के स्थान
पर 2-18 दो नीषा अगरह बिस्वा पड़ा जावे।
इस हेतु संशोधित डिफ्री जारी है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 5 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
(पीठासीन अधिकारी लुधियाना / कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान साठडल

पीठासीन अधिकारी : - देवी सिंह

श्रीमती कृष्णा

उपनाम धीरू
यनाम धीरू

दावा बाबत 13.7.15 दि 1955

मुकदमा नम्बर :- 95/87

निर्णय दिनांक 13.7.15

वादी की ओर से श.पं.

से धीरू की उपस्थिति में इसवाद में आज तारीख 13.7.15
को साठडल (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी

साठडल के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है
और डिक्री दी जाती है कि

राज्ती नामा अनुसार आदेश दिया जाता है कि ग्राम साठडल
की सी.नं. 55/15 शब्दा 2.10 खिरवा का तहसील में
उदीत कर मोल्ड पर नाप कर उक्त आराजियात के 0.05
खिरवा पर वादिया का वाकजा अर्थात् निम्नलिखित प्रत्येक
का वाकजा देवे वा प्रतिवादी का 05 खिरवा पर अर्थात्
वाकजा निम्नलिखित वादिया को सिर्फ केय दोनो पक्ष अर्थात्
श्रीमती कृष्णा व देवी सिंह के पर सहमत
शब्दा फारेजेच अपना-अपना वहन करे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
यह आज तारीख 13.7.15 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी
गई।

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड न्यायालय एवं
पदेन सहायक कलेक्टर लुधियाना